



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 1995/ आषाढ़ 16, 1917

No. 297]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 1995/ASADHA 16, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पथ)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन के व्यापारी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए कांडला पत्तन व्याप्त कर्मचारी (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) अंशदायी भविष्य निधि में विशेष अंशदान (संशोधन) विनियम, 1995 का एमडू द्वारा अनुमोदन करना है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के मन्कारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का व्यापारी मंडल एमडू द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) अंशदायी भविष्य निधि में विशेष अंशदान विनियम, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करना है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) अंशदायी भविष्य निधि में विशेष अंशदान (संशोधन) विनियम, 1995 कहें जाएंगे।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम III के उप विनियम (ख) के अधीन विद्यमान वैराग्राफ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“और उक्त (क) तथा (ख) में उल्लिखित दोनों में से किसी मामले में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का प्रत्येक मामले में समाधान हो जाए कि कर्मचारियों की सेवा संतोषजनक थी”।

3. विनियम (4) के विद्यमान उप-विनियम (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“यदि सेवा 15 वर्षों से कम होती है तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह की परिलब्धियां मिलेंगी परन्तु जो 6 माह की परिलब्धियों से अधिक नहीं होंगी बशर्ते कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में जैसा कि नीचे (1) में दर्शाया गया है, अधिकतम 6 माह की परिलब्धियों के अधीन रहते हुए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह की परिलब्धियों के विशेष अंशदान को बढ़ा न दे :—

(1) यदि किसी कर्मचारी को नीचे बताए गए कारणवश सेवा छोड़नी पड़े तो :—

- (क) उसकी शारीरिक प्रथवा मानसिक प्रक्षमता, प्रथवा
(ख) पद की समाप्ति और कोई उचित वैकल्पिक नियोजन न दिया जा सके।

4. विनियम (5) के नीचे विद्यमान परन्तुक 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“परन्तु आगे कि जब किसी कर्मचारी को सेवा 15 वर्ष की सेवा पूरा होने के पश्चात् पदच्युति के कारण समाप्त की गई हो उस कर्मचारी के उस कदाचार जिसके कारण उसे पदच्युत कर दिया गया हो, के फलस्वरूप पोर्ट को कोई आर्थिक हानि उठानी पड़ी हो तो संबंधित कर्मचारी को अपने मामले से संबंधित रपट्टीकरण की सुधारों का अवसर दिए जाने के बाद ऐसी आर्थिक हानि की राशि इन विनियमों के अन्तर्गत उस कर्मचारी को दी जाने वाली विशेष अंशदान की राशि में से कटौती की जाएगी।”

5. विद्यमान विनियम (VIII) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए :—

“(1) यदि इन विनियमों के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न है तो तत्संबंधी निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।”

[फा. सं. एन-11011/10/91-पी ई.-1]

मो. एम. खैरवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-2-1968 तथा 29-2-1968 के अन्तर्गत सरकार राजपत्र के भाग IV-ग में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1995

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Class-III and IV) Special Contribution to the Contributory Provident Fund (Amendment) Regulations, 1995 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of the notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following

amendment to the Kandla Port Employees (Class-III & IV) Special Contribution to Contributory Provident Fund Regulations, 1967, namely :—

(1) (i) These Regulations may be called the Kandla Port Employees (Class III & IV) Special Contribution to Contributory Provident Fund (Amendment) Regulations, 1995.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

(2) The existing para under sub-regulation (b) of Regulation (III) shall be substituted by following :

“And in either of the cases mentioned in (a) and (b) above the appointing authority is satisfied in each case that the service of the employees was satisfactory.”

(3) The existing sub-regulation (b) of Regulation (IV) shall be substituted by the following :

“If service falls short of 15 years, half a month's emoluments for each completed year of service but not exceeding 6 months emoluments, provided that the appointing authority may, under special circumstances as indicated at (i) below, increase the Special Contribution to one month's emoluments for each completed year of service subject to a maximum of 6 months emoluments :

(i) If an employee has to quit the service on account of —

(a) his physical or mental incapacity; or

(b) Abolition of post and no suitable alternative employment can be offered.”

(4) The existing proviso 2 below Regulation (V) shall be substituted by the following :

“Provided further that where the service of an employee has been terminated on account of dismissal after completion of 15 years' service and the Port has suffered any monetary loss attributable to the misconduct of the employee leading to his dismissal, the amount of such monetary loss shall, after giving an opportunity of being heard to the concerned employee to explain his case, be deducted from the amount of special contribution payable to him under these regulations.”

(5) The following Regulations shall be added after the existing Regulation (VIII) :

“(IX) If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, it shall thereon be decided by the Board.”

[No. H-11011/10/91-PE-I]

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Footnote :—Principal regulations were published in Part-IV-C of the Gujarat Government Gazette dated 22-2-1968 and 29-2-1968.